संख्या-86/2023/1632/22-2-2022-17(1169)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2023***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र कुमार यादव उर्फ नरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री सुरेश यादव, निवासी जनपद-जौनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703/प्रोबे-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र कुमार यादव उर्फ नरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री सुरेश यादव, जो ग्राम-उमापुर, थाना-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर का रहने वाला है, द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 12.04.2007 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर जलाकर नगीना देवी नामक महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-218/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201, 511 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनांक 08.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.03.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.07.2021 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.11.2021 तक 14 वर्ष, 06 माह, 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 11 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 11 माह, 13 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नरेन्द्र कुमार यादव उर्फ नरेन्द्र प्रसाद (बन्दी संख्या-145/2011) पुत्र श्री सुरेश यादव, निवासी जनपद-जौनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-86/2023/1632(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in